कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 36/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 31.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 31.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-जीयनपुरः- शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 30.01.2025 को वादिनी/पीडिता द्वारा अपने माता व चचेरे भाई के साथ थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अमर सिंह पुत्र कपिलदेव पटेल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो पो0 विन्द्रावाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ अपने ननिहाल रामनिवास पटेल पुत्र स्व लालजीव पटेल के यहाँ रहता है द्वारा विगत 06 महिनों से शादी का झाँसा देकर वादिनी के साथ शारिरिक सम्बन्ध बना रहा था। दिनांक 30-1-025 को वादिनी/पीडिता को बहला-फुसलाकर एक होटल में रूम बुक करके ले गया तथा जहाँ उसके साथ शारिरिक सम्बन्ध बनाया गया। जब इस बात की जानकारी वादिनी/पीडिता के परिवार वालों को हुई तो तब वादिनी की माँ व चचेरे भाई द्वारा 112 पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँचकर वादिनी व अभियुक्त को समय करीब 18.30 बजे थाने पर ले आये जहाँ अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीडिता से शादी करने से इन्कार किया जा रहा है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 39/2025 धारा 69BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 नीलमणि सिंह द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. अमर सिंह पुत्र कपिलदेव पटेल नि0ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

01. 39/2025 धारा 69 बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02.थाना-देवगाँवः-चोरी की कुल 03 घटनाओं का अनावरण, 01 अदद मोबाइल व 2500 रूपये नगद के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरणः-

➡ दिनांक 12.06.2024 को आवेदक सुबाष यादव पुत्र सीता राम ग्राम सालेहपुर थाना देवगांव जनप आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर के कमरे से पैजनी 06 पीस चाँदी की , करधनी 01 पीस चाँदी की, 05 पीस चैन सोने की, झुमका 06 पीस सोने की, मंगलसूत्र 03 पीस चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/2024 धारा 457,380 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 29.10.2024 को आवेदक सुरेन्द्र कुमार मौर्या पुत्र स्व0 रामगोपाल मौर्य निवासी कंजहित थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मौर्या कम्प्यूटर दुकान के सटर का ताला तोड़कर 14 मोबाइल , 03 टी0वी0 व करीब 75000 रू नगद तथा दुकान के अन्दर से हार्ड डिक्स D.V.R. व घडी भी चोरी कर लिया गया है। वादी के दुकान के बगल में रतन चौरसिया के पान मसाला गुटखा के दुकान और विजय सेठ के ज्वैलरी के दुकान का ताला भी बिती रात चोरों द्वारा तोडा गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 381/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 03.01.2025 को आवेदक जीतेन्द्र यादव पुत्र चौहरजा निवासी बीबीपुर उर्फ जगदीशपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से दिनांक 01.01.2025 को जेवरात, कुछ कपड़े , तथा एक ब्रीफकेश में से वादी के बेटी के शैक्षिक व बैंक संबंधि दस्तावेज तथा ग्राम भगवानपुर मे खरीदी गई जमीन के दस्तावेज को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 31.01.2025 को उ0नि0 शिवश्याम मिश्रा मय हमराह,उ0नि0 सुरेश सिंह, उ0नि0 राकेश सिंह, उ0नि0 गिरिजेश यादव मय हमराह के साथ पैदल गस्त करते हुए देवगांव बाईपास के तरफ जा रहे थे। जैसे ही रोड़ के किनारे स्थित पोखरे से आगे बढ़े कि एक व्यक्ति देवगांव हाईवे मोड़ से आता हुए दिखाई दिया। जिसे रोकने पर पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर घेरकर देवगांव बाईपास मोड़ से समय करीब 00.48 बजे पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम रमेश कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी रहिला तितरीयापार थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष बताया गया। जिससे भागने का कारण पूँछने पर बताया गया कि दिनांक 29.10.2024 को रात मैं अपने साथी श्रीवास्तव उर्फ लाल पुत्र सुरेन्दर लाल श्रीवास्तव निवासी देवईत थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ तथा संकज पुत्र शिवलोकी निवासी चेवार पश्चिम थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, अशोक बनवासी पुत्र रामलाल बनवासी निवासी चेवार पूरब चड़िया थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के साथ कंजहित बाजार से कम्प्यूटर की दूकान से इलेक्ट्रानिक उपकरण व 75000 रूपये चोरी किया था तथा दिनांक 11.06.2024 की रात में सुबाष यादव के घर से गहने तथा दिनांक 01.01.2025 की रात बीबीपुर में जितेन्द्र यादव के घर से गहने चोरी किये थे। पकड़े गये अभियुक्त रमेश कुमार की जामा तलाशी से 01 अदद मोबाइल तथा 2500 रूपये बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रमेश कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी रहिला तितरीयापार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

01. 01 अदद मोबाइल,
02. 2500 रूपया नगद

आपराधिक इतिहासः-

01.मु0अ0सं0 228/2024 धारा 457,380 भादवि थाना देवगाँव आजमगढ।
02.मु0अ0सं0 381/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस थाना देवगाँव आजमगढ।
03.मु0अ0सं0 04/2025 धारा 305(a) बीएनएस थाना देवगाँव आजमगढ।

03.जनपद आजमगढ़:- के विभिन्न थानों से कुल 14 नफर वारण्टी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा चलाये जा रहे वारंटी / वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान व अपराध नियन्त्रण के क्रम में आज दिनांक 31.01.2025 को माननीय न्यायालय से निर्गत वारण्ट में जनपद से कुल 14 क्रमशः थाना गंभीरपुर से 08, जहानांगज से 04 व रौनापार तथा देवगाँव से 01-01 वारण्टियों की गिरफ्तारी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस-विज्ञप्ति

जनपद से कुल 05 उप-निरीक्षक, 01 रेडियो उप निरीक्षक, 01 मुख्य आरक्षी व 01 फालोवर हुए सेवानिवृत्त

आज दिनांक- 31.01.2025 को जनपद आज़मगढ़ पुलिस से 05 उप-निरीक्षक, 01 रेडियो उप निरीक्षक, 01 मुख्य आरक्षी व 01 फालोवर सेवानिवृत्त हुए, जिनकी विदाई का कार्यक्रम पुलिस लाइन आजमगढ़ स्थित सभागार में आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक मिठाई और गले में फूल माला पहनाकर व मोमेन्टो देकर विदाई की गई, सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को उनके आने वाले भविष्य के लिए स्वास्थता की कामना की गयी। उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक अनन्त चन्द्रशेखर व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारीगण का विवरण:-

1. उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस सुभाष चन्द्र दूबे, पीएनओ- 840893031,जनपद आजमगढ़
2. उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस राकेश तिवारी, पीएनओ- 842190189, जनपद आजमगढ़
3. उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस तुलसी प्रसाद, पीएनओ- 870920226, जनपद आजमगढ़
4. उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस उदय भान सिंह, पीएनओ-832300213, जनपद आजमगढ़
5. उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस गिरधारी मिश्र, पीएनओ- 832760891, जनपद आजमगढ़
6. रेडियो उप निरीक्षक दुर्गादत्त सिंह, पीएनओ- 851020022, जनपद आजमगढ़
7. मुख्य आरक्षी ओमप्रकाश पटेल, पीएनओ- 030481321,जनपद आजमगढ़ (ऐच्छिक सेवानिवृत्ति)

8 फालोअर नन्दलाल, पीएनओ- 972050443, जनपद आजमगढ़।

थाना – गम्भीरपुर

साइबर फ्राड के 55600/- रूपये वापस कराया गया

बरामदगी का विवरणः-

दिनांक 03.08.2024 को आवेदक महताब आलम पुत्र फखरे आलम ग्राम मंगरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के खाते से आवेदक के बिना जानकारी के 55600 रु/- का साइबर फ्राड हुआ था। जिसके क्रम मे आवेदक द्वारा 1930 पर काल कर साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत सं0 231082240086694 दर्ज कराया गया था। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल पर आदेवक से हुए फ्राड का कुल 55600/- रु0 को होल्ड कराया गया था। । उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये कम्प्यूटर आपरेटर कुलदीप कुमार गुप्ता द्वारा फ्राड हुए कुल धनराशी 55600/- रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

बरामदगी कराने वाली पुलिस टीमः-

01.थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

02.कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए कुलदीप कुमार गुप्ता

थाना-कप्तानगंजः- दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.01.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अच्छेलाल वर्मा पुत्र स्व0 केवल वर्मा ग्राम बासी जफ्ती माफी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र लगभग 70 द्वारा एक लड़की जो मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त है के साथ बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0सं00-24/25 धारा 64 बी0एन0एस0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 31.01.2025 को वरिष्ठ उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अच्छेलाल वर्मा पुत्र स्व0 केवल वर्मा ग्राम बासी जफ्ती माफी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र लगभग 70 वर्ष को काशी करवट मोड़ से समय करीब 15.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

"आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा अवैध गांजा,हीरोइन, स्मैक ,डायजापाम व अन्य मादक पदार्थ कुल 5716.7507 किग्रा का कराया गया विनष्टीकरण–

"आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में **श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के पर्वेक्षण/नेतृत्व में बरामद/मुकदमाती मालों/अवैध गांजा,हीरोइन, स्मैक, डायजापाम व अन्य मादक पदार्थ** का कराया जा रहा विनष्टीकरण। विनष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा मादक पदार्थो, स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थो के निस्तारण की कार्यवाही के क्रम में दिनांक 31.01.2025 को जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद के **23 थानों** पर अवैध मादक पदार्थो से संबंधित पंजीकृत **कुल 152** अभियोगों से सम्बंधित अवैध गांजा,हीरोइन, स्मैक, डायजापाम व अन्य मादक पदार्थ कुल 5716.7507 किग्रा जिसकी **अनुमानित कीमत 05 करोड़ 18 लाख 56 हजार 206 रुपये** का विनष्टिकरण मानक के अनुसार **मेसर्स सिलिकॉन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, भादो, माहुल, मार्टीनगंज थाना क्षेत्र दीदारगंज जनपद आजमगढ़ में स्थित उद्योग में स्थापित/संचालित इंसीनिरेटर/ब्वायलर** के माध्यम से कराया गया। जिसका मौके पर फोटो विडियोग्राफी किया गया।

(अवैध गांजा, हीरोइन, चरस व अन्य मादक पदार्थ) के विनष्टीकरण हेतु उपस्थित टीम का विवरण-

01. श्री ओ0एच0 सिद्दीकी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़।
02. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 31.01.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कोतवालीः हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000 रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 07.04.2017 को वादी मुकदमा चन्द्रभूषण यादव पुत्र जयराम यादव निवासी लंगडपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी सुनील यादव उर्फ कुन्टू पुत्र दूधनाथ निवासी ऐनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा कमलेश यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी केशवपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को पेट्रोल पम्प पर आपस में कहासुनी को लेकर तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दिया गया था।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 172/2017 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 31.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव उर्फ कुन्टू पुत्र दूधनाथ निवासी ऐनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए को आजीवन कारावास एवं 50000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।